

उत्तराखण्ड शासन
सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा अनुभाग
संख्या:-500/XLIII(1)/14-20(02)/2014
देहरादून:दिनांक 07-अगस्त, 2014

अधिसूचना

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 एवं उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2014 की धारा 13(1) एवं धारा 15 के प्राविधानान्तर्गत प्राप्त शक्तियों के अधीन श्री राज्यपाल श्री सुभाष जोशी को "उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग" के आयुक्त के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. यह नियुक्ति अधिनियम की धारा-15 (3) के अधीन श्री सुभाष जोशी के शपथ ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।

3. यह नियुक्ति उपरोक्त अधिनियम की धारा-15(1) के अनुरूप श्री सुभाष जोशी के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 05 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, के लिए होगी।

4. आयुक्त, उत्तराखण्ड सेवा के अधिकार आयोग के वेतन और भत्ते एवं सेवा के अन्य निर्बन्धन और शर्तें उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 की धारा-15 (5) के अनुरूप होंगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(सुभाष कुमार)
मुख्य सचिव।

संख्या: 500/XLIII(1)/14-20(02)/2014 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. श्री सुभाष जोशी, सेवानिवृत्त आई0पी0एस0।
5. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाँयू मण्डल।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. प्रमुख निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
8. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड देहरादून।
9. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
10. महानिदेशक, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. निदेशक राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस आशय से कि इसकी 100 प्रतियां मुद्रित करा कर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. राज्य सूचना अधिकारी, एन0आई0सी0, देहरादून।
13. समस्त अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
14. मीडिया सेन्टर।
15. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(भास्करानन्द)
सचिव।